

6/8/2024

Idhar
mukher



बालु

मि

गुवापी
70

पञ्जावली अधिवक्ता प्राचीनिके आवेदन
 पर शिवागद से तलब की गयी, अधिच
 प्राचीनिक स्वयं प्राचीनिक व्यापक
 हाजा में उपर होकर प्राचीनिक
 पेश किया की प्रकरण में प्राचीनिक
 व विपक्षीयों के मध्य आपस
 में राजीनामा हो गया है व
 प्राचीनिक अब उक्त प्रकरण

मि

उपरोक्त अधिवक्ता पदेन
सहायक कलक्टर करेड

नारायण उपखंड अधिकारी

हुकूमन सहायक कलक्टर

करेडा (भीलवाड़ा)

हुकूम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

सं. 115/18 डा. 43 बालुबनाम-तन्दन सिंह

नम्बर, व तारीख
अहकाम जो इस
हुकूम की तामील
में जारी हुए

के आगामी कोई कार्यवाही नहीं
चाहते हैं, प्राचीन द्वारा आदेशिका
पर हस्ताक्षर किए, पहचान अधिकता
प्राचीन द्वारा की गई, प्रकरण में
प्राचीन द्वारा कार्यवाही नहीं
वाहने से प्रकरण में अब कोई
कार्यवाही शेष नहीं रही है अतः
प्रकरण को प्राचीन द्वारा
कार्यवाही नहीं वाहने से खारिज
किया जाता है प्रकरण में दिनांक
30/7/2018 को पारित स्थगन
भी स्वयंसेव खारिज किया
जाता है। ~~क~~ पत्रावली काल
शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम है।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेडा